

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1171 / 2008 / भीलवाड़ा.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड-प्रथम, वृत्त-ए, भीलवाड़ा.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स जलाराम शॉ मिल्स, भीलवाड़ा.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. के. अजमेरा,

उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

प्रत्यर्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 19 / 01 / 2018

निर्णय


1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा गया है) के अपील संख्या 168/आरएसटी/2007-08/भीलवाड़ा में पारित किये गये आदेश दिनांक 13.11.2007 के विरुद्ध राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 85 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के वित्तीय वर्ष 2000-01 का नियमित कर निर्धारण आदेश अधिनियम की धारा 29 के तहत दिनांक 12.12.2002 को पारित किया गया था, जिसमें जलाऊ लकड़ी की खरीद को स्वीकार करते हुए कुल मांग रुपये 9163/- सृजित की गयी थी। तत्पश्चात् व्यवहारी की ऑडिट रिपोर्ट की जांच की जाने पर पाया गया कि व्यवहारी द्वारा अपंजीकृत व्यवहारियों से क्रय की गयी लकड़ी से बक्सों का निर्माण कर विक्रय किया गया है। इस प्रकार इमारती लकड़ी की खरीद पर क्रय कर का दायित्व मानते हुए सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-प्रथम, वृत्त-ए, भीलवाड़ा द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि का कर निर्धारण आदेश अधिनियम की धारा 30 के तहत खोलते हुए दिनांक 07.06.2007 को आदेश पारित किया गया, जिसमें क्रय की गयी इमारती लकड़ी रुपये 9,85,402/- पर 3 प्रतिशत की दर से क्रय कर, सरचार्ज एवं ब्याज सहित कुल रुपये 67,480/- की मांग कायम की गयी। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर, अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.11.2007 से प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील पेश की गयी है।



लगातार.....2

3. प्रत्यर्थी की ओर से बावजूद सूचना किसी के उपस्थित नहीं होने पर, अपीलार्थी विभाग के विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा कर निर्धारण आदेश का समर्थन किया गया एवं अपीलीय आदेश को विधिविरुद्ध बताते हुए उसे अपास्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।
4. विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
5. पत्रावली के अवलोकन पर पाया कि व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत किये गये विवरण-पत्रों में अपंजीकृत खरीद लकड़ी की बताई है एवं करमुक्त इस आधार पर क्लेम किया गया कि खरीद वाउचर में उसे जलाऊ लकड़ी (Firewood) बताया गया है जबकि खरीद की गई समस्त लकड़ी का उपयोग पैकिंग मैटेरियल के निर्माण कार्य में लिया गया है। व्यवहारी द्वारा खरीद की गई लकड़ी यदि "Firewood" के रूप में खरीद की जाती तो वह केवल जलाने योग्य ही हो सकती है क्योंकि उसका आकार एवं प्रकृति इमारती लकड़ी के रूप में काम में नहीं आ सकती है जबकि इस प्रकरण में खरीद किया गया माल 'जलाऊ' कार्य हेतु नहीं था एवं उसका वास्तविक उपयोग भी बॉक्स बनाने में निर्माण कार्य में हुआ है, अतः वह कर योग्य लकड़ी थी न कि करमुक्त Firewood. इस तथ्य की पुष्टि व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 4.6.2003 से भी होती है जिसमें उसने स्वयं ने खरीद को कच्ची लकड़ी की खरीद होना बताया है तथा अंकित किया है कि इसके उपयोग पर कुछ माल जलाऊ लकड़ी के रूप में भी निकलता है अर्थात् खरीद के समय कच्ची लकड़ी की खरीद की गई थी जिसके बॉक्स बनाने के उपयोग में लेने की प्रक्रिया के दौरान जो टुकड़े पैदा होते थे वे जलाऊ लकड़ी होती है जबकि ट्रेडिंग अकाउंट से स्पष्ट है कि ऐसी कोई जलाऊ लकड़ी का विक्रय नहीं किया गया है अतः दस्तावेजों से तथ्यात्मक पुष्टि होती है कि अपंजीकृत व्यवसायियों से "Firewood" की खरीद नहीं की गई थी बल्कि सामान्य लकड़ी का ही क्रय किया गया था। इस तरह कर निर्धारण अधिकारी का आदेश विधि अनुकूल है एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश तथ्यों के विपरीत होने से उसे अपास्त किया जाता है एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को पुनर्स्थापित (restore) किया जाता है।
6. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व की अपील स्वीकार की जाती है।
7. निर्णय सुनाया गया।


 (के. एल. जैन)
 सदस्य